न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील डिक्री/टीए/7444/2014/सवाईमाधोपुर

1— गिरधर पुत्र उदयसिंह,
2— महावीर सिंह पुत्र मालसिंह,
3— रघुवीर सिंह पुत्र मालसिंह,
समस्त जाति राजपूत, निवासी धोराला, तहसील बौली, जिला सवाईमाधोपुर।

...अपीलान्टस

बनाम

1— विजेन्द्र सिंह पुत्र सरदारसिंह,
2— शंकर सिंह पुत्र सरदार सिंह,
समस्त जाति राजपूत, निवासी धोराला, तहसील बौली, जिला सवाईमााधेपुर।
3— सब रजिस्ट्रार, बौली, जिला सवाईमाधोपुर ।
4— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बौली, जिला सवाईमाधोपुर ।
5— मैजेजर, बैंक आफ बड़ौदा, ब्राच पीपलदा, तहसील बौली, जिला सवाई माधोपुर ।

...रेस्पोन्डेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री रामदयाल मीणा, सदस्य
श्री भवानीसिंह पालावत, सदस्य

उपस्थितः—
श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता अपीलांटस
श्री घनश्याम सिंह लखावत, अधिवक्ता रेस्पो0

————————

निर्णय

दिनांकः—11.01.2024

यह अपील अपीलान्ट द्वारा अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.12.2014 जो की न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर ने अपील संख्या 40/2014 बउनवानी श्री विजेन्द्रसिंह बनाम गिरधरसिंह में पारित किया गया के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2— प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि रेस्पोडेंटस/वादीगण ने एक वाद पत्र न्यायालय उप जिला कलक्टर, बौली के न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 एवं वादीगण जाति से राजपूत व एक ही वंश के है । भैरूसिंह के दो लड़के देवीसिंह, सूरसिंह थे । देवीसिंह के लड़के उदयसिंह व सरदारसिंह, नाहरसिंह हुए । उदयसिंह के मालसिंह व गिरधरसिंह हुए । मालसिंह के महावीर सिंह व रघुवीर सिंह जो वादी संख्या 1 व 2 है तथा गिरधरसिंह स्वंय वादी संख्या 1 है । इसी तरह सरदार सिंह के विजेन्द्र सिंह व शंकर सिंह दो पुत्र है जो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 है । वादीगण की पैतृक काश्त की आराजी ग्राम धोराला में खाता संख्या 285 के खसरा नंबर 1051 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 1057 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा, 1058 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 1060 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा, 1166 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, 1167 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, 1222 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, 1379 रकबा 7 बिस्वा, 1386 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 1385 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 10 कुल रकबा 25 बीघा 12 बिस्वा एवं खाता संख्या 286 कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, खाता संख्या 284 कुल किता 5 कुल रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम धोराला में अवस्थित है जो वादीगण के पूर्व भैरूसिंह की काश्त की आराजी थी । भैरूसिंह के फौत हो जाने के बाद उसके लड़के देवीसिंह व सूरसिंह के नाम उक्त आराजी का नामांतकरण खुला । इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से के अनुसार आज भी उक्त आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है । प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने बराये चालाकी अपने पिता सरदार सिंह के नाम देवीसिंह व सूरसिंह जो भैरूसिंह के लड़के थे को अलग–अलग व्यक्ति है तथा आपस में खास भाई थे, उनकी खातेदारी की आराजी को देवीसिंह व सूरसिंह को एक ही नाम के व्यक्ति बताकर पटवारी हल्का से सरदार सिंह के नाम नामांतकरण खुलवा लिया । नामांतकरण संख्या 868 दिनांक 25.01.1992 के द्वारा अपने नाम उक्त आराजी का नामांतकरण खुलवा लिया है । देवीसिंह के तीन लड़के उदयसिंह, सरदारसिंह व नाहर सिंह थे जिसमें नाहरसिंह लाऔलाद फौत हो गया, नाहरसिंह के उत्तराधिकारी उनके भाई उदयसिंह व सरदार सिंह थे । नाहरसिंह की मृत्यु होने पर प्रतिवादी संख्या 2 व 2 ने नाहरसिंह के वारिस व उत्तराधिकारी बनकर नामांतकरण संख्या 869 दिनांक 25.01.1992 को खुलवा लिया जबकि नाहरसिंह की आराजी उनके दोनों भाई उदयसिंह व सरदारसिंह के नाम आनी चाहिये । इस प्रकार उक्त नामांतकरण पर सजरा गलत दर्ज किया गया है । उक्त आराजी के वादीगण 1/2 व प्रतिवादीगण 1/2 हिस्से के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के हकदार है । अतः वाद वादीगण स्वीकार कर उक्त आराजियात मुतनाजा का वादीगण को 1/2 व प्रतिवादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया

जावे व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि आराजियात मुतनाजा में वादीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत नहीं करे । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 23.07.2014 को वादीगण/अपीलांटस का वाद आंशिक रूप से डिक्री किया । विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पो0 ने प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर के न्यायालय में पेश की । अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 05.12.2014 को प्रतिवादीगण/अपीलांटस की अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.07.2014 को निरस्त करते हुए वादीगण का वाद खारिज कर दिया । प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर के उक्त निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस/वादीगण ने हस्तगत अपील मण्डल के समक्ष पेश की है ।

3— हमनें उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी ।

4— विद्वान अधिवक्ता अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में अंकित कथनों के क्रम में अपील में निर्णय पारित करने का निवेदन करते हुए कथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। अपीलीय न्यायालय ने आदेश 41 नियम 31 जा0दी0 के प्रावधानों के विपरीत आक्षेपित आदेश पारित किया है । अपीलीय न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को उलट करने हेतु प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट निर्णय पारित करना चाहिये था किन्तु विचारण न्यायालय ने प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट विवेचन पारित किए बिना आक्षेपित निर्णय पारित किया है जो विधिक प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्तनीय है । सजरा खानदान के अनुसार अपीलांट गिरधर सिंह 1/4 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है । इसी प्रकार अपीलांट महावीर सिंह व रघुवीरसिंह भी 1/4 हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है तथा शेष 1/2 हिस्सा रेस्पो0 विजेन्द्रसिंह एवं शंकरसिंह के अधिकारी है । विचारण न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में वाद डिक्री किया था जो विधिसम्मत् निर्णय है । अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निम्न निष्कर्ष के आधार पर निरस्त किया है कि—**''अतः सरदारसिंह के सूरसिंह के गोद जाने से सूरसिंह की खातेदारी भूमि में उनके पिता का नाम सूरसिंह लिखा गया है तथा देवीसिंह के पुत्र उदयसिंह जो वादीगण के पिता है के ना पर पहले ही पिता के खाते की भूमि दर्ज हो चुकी है थी । अतः देवीसिंह की मृत्यु के बाद देवीसिंह की शेष भूमि सरदारसिंह व नाहरसिंह के नाम दर्ज हुई है । इस तरह सरदारसिंह के दो पिता के बारे में वादीगण द्वारा ऐतराज किया गया है वह गलत साबित होता है । वादीगण के पिता ने अपने जीवनकाल में सूरसिंह की**

भूमि सरदारसिंह की खातेदारी में जाने को कभी चुनौती नहीं दी तथा वादीगण व उनके गवाहान ने सूरसिंह द्वारा सरदारसिंह को गोद लेना स्वीकार किया है। वादीगण को नामांतकरण संख्या 868 व 869 के इंद्राजों की जानकारी तस्दीक होने के समय से रही है लेकिन आज तक कभी इन्हें चैलेन्ज नहीं किया इससे भी यह साबित है कि पहले वे इंद्राजों को स्वीकार करते थे । इसी प्रकार नामांतकरण संख्या 869 द्वारा नाहरसिंह पुत्र देवीसिंह की मृत्यु के बाद सरदारसिंह के पुत्रों के नाम नामांतकरण तस्दीक किया गया है क्योंकि नाहरसिंह उनके भाई सरदारसिंह के पास ही रहते थे तथा नाहरसिंह ने अपनी भूमि की वसीयत सरदारसिंह के पक्ष में की थी क्योंकि सरदार सिंह की मृत्यु हो गई । अतः उनके पुत्रों के नाम नामांतकरण सही भरा गया है । अपीलांट/प्रतिवादी ने अपने जिम्मे की तनकी संख्या 3 का प्रमाणित किया है । रेस्पो0/वादीगण तनकी संख्या 1 व 2 से साबित करने में असफल रहे है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 23.07.2014 निरस्त किया जाता है । अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । रेस्पो0/वादीगण का वाद खारिज किया जाता है ।'' अपीलीय न्यायालय का उक्त निष्कर्ष पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत है । विवादित भूमि पैतृक है तथा इसे पैतृक होना प्रतिवादी/रेस्पो0 ने भी माना है । प्रतिवादी ने सूरसिंह का कोई गोद पत्र पेश नहीं किया है जिससे उनके द्वारा सरदारसिंह को गोद लेना सिद्ध होता है । गोद की घोषणा करने के लिए राजस्व न्यायालय सक्षम नहीं है । यदि सरदारसिंह सूरसिंह के गोद गये होते तो देवीसिंह की भूमि सरदारसिंह के नाम पर नही आनी चाहिये थी । जो वसीयत पेश की गई है उव पर प्रोवेट लेना चाहिये था । इसी प्रकार जिस दस्तावेज को वसीयत बता रहे है उसमें कोई खसरा नंबर का उल्लेख नहीं है ना ही प्रतिवादी ने इसे साबित कराया है । इसके बावजूद अपीलीय न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया के विपरीत जाकर विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री को निरस्त किया है जो विधिविरूद्ध निर्णय होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 5.12.2014 निरस्त किया जावे तथा उप जिलाधीश, बौली द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.07.2014 यथावत् रखा जावे ।

5— विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने लिखित बहस में कथन किया कि अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण में निहित मूल तनकी से संबंधित समग्र विवेचन कर निर्णय पारित किया है तथा निर्णय के अंत में तनकी संख्या 1 व 2 तथा 3 के बारे में अंकन किया है। इस प्रकार प्रकरण में मूल विवादित बिन्दु गोद से संबंधित है तथा इस बाबत् संपूर्ण साक्ष्य का विवेचन किया है इस प्रकार अपीलीय न्यायालय ने सार रूप से आदेश 41 नियम 31 सीपीसी की पालना की है। जब

स्वयं वादी गिरधर सिंह पी.डब्ल्यू 1 ने अपने जिरह के दौरान यह स्वीकार किया है कि सरदार सिंह, सूरसिंह के गोद गए थे तो ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय ने साक्ष्य को विधिपूर्ण विवेचन कर जो निष्कर्ष प्रदान किया है उसे वादी द्वितीय अपील में आक्षेपित नहीं कर सकता है, क्योंकि साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसी भी प्रकरण में किसी पक्षकार की स्वयं द्वारा की गई स्वीकृति सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य है तथा वह पक्षकार उससे बाध्य है। लंबी अवधि के पश्चात् किसी व्यक्ति को गोद पुत्र मानकर समस्त कार्य संव्यवहार किया गया हो तो बाद में इससे तकनीकी आधारों पर इंकार नहीं किया जा सकता है। विचारण न्यायालय ने खाता संख्या 263 की 7 बीघा 2 बिस्वा भूमि बाबत् की गई प्रविष्ठी को सही माना तथा वाद में इस भूमि बाबत् डिक्री नहीं दी गई वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया गया तथा स्वयं वादी ने पृथक से कोई अपील इस बाबत् प्रस्तुत नहीं की इस कारण द्वितीय अपील में वादी इस बिन्दु पर न तो कोई अनुतोष मांग सकता है और ना ही किसी प्रकार से इस आक्षेपित कर सकता है, इस कारण इस बिन्दु पर यह अपील पोषणीय नहीं है। विचारण न्यायालय ने खाता संख्या 398 की भूमि जिसमें 1/2 हिस्से की भूमि पर अन्य खातेदार है जो वाद में पक्षकार ही नहीं है तथा इस भूमि बाबत् जो डिक्री पारित की गई उसे अपीलीय न्यायालय ने सही रूप से खारित किया है। स्वयं वादीगण के पिता उदयसिंह ने अपने पिता के जीवनकाल में भूमि पृथक से बड़ा पुत्र होने से दर्ज करवा ली इस प्रकार शेष बची भूमि बाबत् वादीगण अपना हक बताकर विवाद नहीं कर सकते हैं तथा इस बिन्दु पर विचारण न्यायालय ने विचार नहीं किया जो गलत मानकर अपीलीय न्यायालय ने संपूर्ण तथ्यात्मक स्थिति का विवेचन कर जो निर्णय पारित किया है वह विधिपूर्ण है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारित की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे 1999 पृष्ठ 17 तथा आरबीजे 1999 पेज 132, एआईआर 1976 राज0 पेज 40, एआईआर 1960 पेज 100, एआईआर 1959 एससी पेज 57, डीएनजे 2022 (2) पेज 326 तथा 735 आदि के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किए।

6— हमनें योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व आक्षेपित निर्णय का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया ।

7— पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेंटस/वादीगण ने अपीलांटस/प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद पेश किया जिसे विचारण न्यायालय उप जिला कलक्टर, बौली ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 23.07.2014 को आंशिक रूप से स्वीकार कर डिक्री किया । विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पो0 ने प्रथम अपील न्यायालय राजस्व

अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की जिस पर अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 05.12.2014 द्वारा प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंटस की अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.07.2014 को निरस्त कर वादीगण/अपीलांटस का वाद निरस्त किया है।

8— अपीलांटस का अपीलमीमों में यह कथन रहा है कि अपीलीय न्यायालय द्वारा ओदश 41 नियम 31 जा0दी0 की पालना किए बिना आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित किया गया है । इस संबंध में अपीलीय न्यायालय के निर्णय व डिक्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय के अंत में तनकी संख्या 1, 2 व 3 के बारे में अंकित किया है । प्रकरण में मुख्य विवादित बिन्दु गोद से संबंधित है जिसके बारे में अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में समस्त साक्ष्यों का विवेचन कर आक्षेपित निर्णय पारित किया है । इसी प्रकार स्वंय वादी गिरधरसिंह पी0डब्ल्यू0 1 ने अपनी जिरह में यह तथ्य स्वीकार किया है कि सरदार सिंह सूरसिंह के गोद गये थे । भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावाधनों के अनुसार किसी भी प्रकरण में किसी पक्षकार की स्वंय द्वारा की गई स्वीकारोक्ति सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य है तथा वह पक्षकार उससे बाध्य है । इसलिये अब वादीगण/अपीलांटस द्वारा द्वितीय अपील के स्तर पर इसे आक्षेपित नहीं कर सकता है । इसी प्रकार विचारण न्यायालय ने खाता संख्या 263 की 7 बीघा 2 बिस्वा भूमि बाबत् की गई प्रविष्ठि को सही माना तथा वाद में इस भूमि बाबत् वाद डिक्री नहीं कर वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया है । विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध वादी/अपीलांट ने पृथक से कोई अपील प्रस्तुत नहीं की है इसलिये अब द्वितीय अपील के स्तर पर इस बिन्दु को नहीं उठा सकता है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि खाता संख्या 398 की भूमि जिसमें 1/2 हिस्से की भूमि पर अन्य खातेदार भी है जिन्हें वाद में पक्षकार ही नहीं बनाया है इसके बावजूद विचारण न्यायालय द्वारा इस भूमि बाबत् वाद डिक्री किया गया है जिसे भी विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है। वादीगण के पिता उदयसिंह ने अपने पिता के जीवनकाल में बड़ा पुत्र होने की हैसियत से पृथक से भूमि दर्ज करवा ली थी इसलिये अब शेष रही भूमि बाबत् वादीगण अपना हक बताकर वाद प्रस्तुत करने के अधिकारी नहीं थे । उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विचार किए बिना उपखण्ड अधिकारी, बौली ने निर्णय व डिक्री दिनांक 23.07.2014 को पारित कर वादीगण/अपीलांटस का वाद आंशिक रूप से डिक्री किया है जो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के विपरीत होने से प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रतिवादीगण/रेस्पो0 की अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त करते हुए वादीगण का वाद निरस्त किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है जिसमें द्वितीय

अपील के स्तर पर बिना किसी ठोस साक्ष्य, सबूत के हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है । विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होते है ।

7— परिणामतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है । राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.12.2014 यथावत् रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भवानीसिंह पालावत)
सदस्य

(रामदयाल मीणा)
सदस्य